



Neutral Citation No. - 2026:AHC:38221

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 2517/2026

नृपेन्द्र कुमार @ निवेन्द्र सिंह @ निपेन्द्र सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आदर्श शुक्ला, रजनीश कुमार श्रीवास्तव, शशि मिश्रा, सिद्धार्थ श्रीवास्तव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वर्तमान रिट याचिका को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि चौथे प्रतिवादी-जिला जेल, उन्नाव (जिला उन्नाव) के अधीक्षक-के विरुद्ध 'परमादेश' की मांग की गई है, और प्रतिवादी लखनऊ में स्थित हैं; अतः उन्हें उस न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता दी जाए जिसका क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार हो।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
3. उपर्युक्त स्वतंत्रता के साथ, रिट याचिका को वापस ली गई मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



20 फरवरी, 2026

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”